दैनिक जागरण

निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है

कांग्रेस की चिंताएं

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की भारत बचाओ रैली ने यही बताया कि पार्टी एक साथ कई मसलों पर मोदी सरकार को घेरना चाह रही थी। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह से लेकर पी चिदंबरम तक ने जिन तमाम मसलों पर अपनी चिंता जाहिर की उनमें नागरिकता कानून सर्वोपरि दिखा तो शायद इसी कारण कि उसके जरिये कुछ राजनीतिक लाभ मिलने की सूरत दिख रही है। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। निःसंदेह इस पर भी निर्भर करेगा कि नागरिकता संबंधी इस संशोधित कानून को आम जनता किस रूप में ले रही है? भले ही पूर्वोत्तर में इस कानून का विरोध हो रहा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि कांग्रेस जो कह रही है वही सही है। इसमें संदेह है कि मोदी सरकार नागरिकता कानून पर कांग्रेस की आपत्ति को महत्व देने वाली है, लेकिन उसे अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर कांग्रेसी नेताओं की चिंता पर गंभीरता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक सुस्ती का माहौल एक सच्चाई है और उस पर विपक्ष को अपनी चिंता जताने और साथ ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अधिकार है। वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई भी सिर उठाती दिख रही है। यह सही है कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है, लेकिन अभी हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं और इसी कारण विपक्ष को टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिल रहा है।

पता नहीं कांग्रेस इसका आकलन करेगी या नहीं कि भारत बचाओ रैली कितनी असरकारी रही, लेकिन उसे और खासकर राहुल गांधी को यह समझ आए तो बेहतर कि उन्हें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। यह साफ है कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधने के फेर में ऐसा कहा, लेकिन निशाना उस शिवसेना पर भी लगा जिसकी सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने भले ही सावरकर का उल्लेख यह जताने के लिए किया हो कि वह अपने किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगने वाले, लेकिन सबको पता है कि राफेल मामले में वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित तौर पर माफी मांग चुके हैं। आखिर वह अपनी इस लिखित माफी को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि अगर आए दिन उनके बयान चर्चा में आ जाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपनी बातों से लोगों को आश्वस्त करने में सफल हो जाते हैं।

सार्थक कदम

उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के खाली पड़े परिसरों में अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी संचालित किया जा सकेगा। बंद पड़े प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के साथ में विद्यालयों के खाली पड़े परिसरों का भी इस कार्य के लिए उपयोग करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह फैसला सही और विभिन्न महकमों के संसाधनों को एक साथ बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में अच्छा कदम कहा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग कर रहा है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषकतत्वयुक्त भोजन के साथ ही प्री प्राइमरी शिक्षा इन केंद्रों में मुहैया कराई जा रही है। ये आंगनबाड़ी केंद्र नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में चलेंगे। इससे विद्यालयों को भी फायदा है। प्री प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे। वैसे भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षा महकमे को सेवित क्षेत्रों के बच्चों को दाखिला दिलाने को प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम संचालित करने पड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अपने सेवित क्षेत्रों के बच्चों के आंकड़े भी जुटाते हैं। ऐसे में इन केंद्रों के जरिये प्राथमिक विद्यालयों को भी मदद मिल सकेगी। हालांकि काफी लंबे समय से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निजी विद्यालयों खासतौर पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर प्री प्राइमरी के रूप में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, लेकिन आर्थिक कारणों से इस पर अमल करने से गुरेज किया गया। वैसे भी शिक्षा महकमे के कुल बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन-भत्तों पर खर्च हो रहा है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा का रास्ता साफ होने जा रहा है। हालांकि पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। इन क्षेत्रों में अधिकतर प्राथमिक विद्यालय गांव या आबादी क्षेत्र से हटकर हैं। छह साल से कम आयु के छोटे बच्चों को इन केंद्रों तक लाने-ले जाने की समस्या खड़ी हो सकती है। उक्त दोनों व्यवस्था साथ-साथ होने से इन समस्याओं के समाधान की राह भी निकलेगी। बावजूद इसके इस प्रयोग को यदि संजीदगी के साथ लागू किया गया तो इससे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति में अधिक सुधार नजर आ सकता है। साथ ही विद्यालयों को ड्राप आउट की समस्या से निजात मिल सकेगी।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के पास अब प्री प्राइमरी शिक्षा से जुड़ने का मौका है। यह व्यवस्था कारगर रही तो विद्यालयों में बच्चों के दाखिले का संकट भी दूर होगा

नागरिकता कानून पर दुष्प्रचार

संजय गुप्त

समस्या केवल यह नहीं कि विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उसे लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं

अवधेश राजपूत

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून का रूप ले लिया। मोदी सरकार ने इस विधेयक को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से जिस तरह पारित कराने में सफलता प्राप्त की उससे उसके राजनीतिक कौशल का पता चलता है। इस विधेयक को कानून का रूप देकर मोदी सरकार ने अपने एक और अहम वादे को पूरा किया। इसके पहले वह अनुच्छेद 370 को हटा चुकी है और अयोध्या मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। नागरिकता विधेयक पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यह एक समस्या का निराकरण करने के लिए लाया गया विधेयक है और मोदी सरकार समस्याओं के समाधान के लिए ही सत्ता में आई है, न कि सत्ता सुख भोगने के लिए। जैसा पहले से स्पष्ट था, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी राज्यसभा में सरकार को इसलिए आसानी हुई, क्योंकि बीजद जैसे दलों ने विधेयक का समर्थन किया। शिवसेना का रवैया अजीब रहा। उसने लोकसभा में समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में उसके बहिष्कार पर उतर आई। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी उसका विरोध जारी है। विपक्षी दल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच अंतर करने के कारणों को समझने के लिए तैयार नहीं। हालांकि गृहमंत्री ने इन कारणों को बार-बार स्पष्ट किया, लेकिन विपक्ष इसी पर अड़ा है कि यह कानून संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और खासकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। साफ है कि वह इसकी अनदेखी कर रहा है कि नागरिकता कानून तीन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों और वहां के बहुसंख्यकों में भेद करता है, न कि हिंदू-मुसलमानों के बीच। विपक्ष यह समझने को तैयार नहीं कि अनुच्छेद 14 तर्कसंगत विभेद आधारित कानून बनाने की अनुमति देता है। विपक्ष इस बात को भी ओझल कर रहा है कि गृहमंत्री साफ कर चुके हैं कि यदि उक्त तीन देशों के बहुसंख्यक यानी मुसलमान भारत की नागरिकता चाहेंगे तो उस पर विचार होगा।

समस्या केवल यह नहीं कि विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे उसे लेकर लोगों को बरगलाने और उकसाने का काम कर रहे हैं। उनकी ओर से यह प्रचारित किया जा रहा है कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। यह प्रचार तब हो रहा है जब इस कानून का किसी भी मजहब के भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं। जाहिर है कि एक संवेदनशील मसले पर दुष्प्रचार के कारण लोगों में गलत संदेश जा रहा है और वे आशंकित हो रहे हैं। इस आशंका को भुनाया जा रहा है। नागरिकता कानून पर गलत और उकसावे वाले प्रचार के कारण ही असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस विरोध का आधार यह अंदेशा है कि बाहरी लोगों को नागरिकता देकर उनके यहां बसा दिया जाएगा। असम के लोगों को लगता है कि इससे उनकी संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। असम आजादी के बाद से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का शिकार है। बांग्लादेश के करोड़ों लोग असम में बस चुके हैं। उनके चलते असम का सामाजिक और राजनीतिक माहौल बदल गया है। इसी कारण असमी लोग बांग्लादेश से आए बांग्ला भाषी हिंदुओं को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। असम में बाहरी लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। उग्रवादी संगठन उल्फा इसी आंदोलन की उपज था। आज असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में नागरिकता कानून के विरोध में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वह क्षेत्रवाद की राजनीति का ही परिचायक है। क्षेत्रीयता का राष्ट्रीयता पर हावी होना एक विडंबना ही है। क्षेत्रवाद को हवा देने वाली राजनीति तमिलनाडु, बंगाल और महाराष्ट्र में भी जब-तब की जाती रही है। एक समय पंजाब में भी इसी राजनीति को हवा दी गई थी। केरल, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की ओर से यह जो कहा गया कि वे नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे वह केवल क्षेत्रवाद की शर्मनाक राजनीति ही नहीं, संघीय ढांचे का निरादर भी है।

नागरिकता कानून को लेकर असम में जो हिंसा जारी है उसका औचित्य इसलिए नहीं, क्योंकि यह कानून वहां के कुछ ही जिलों में लागू होगा। यही स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की है। कुछ राज्य तो इनर लाइन परमिट से पूरी तरह संरक्षित हैं। पूर्वोत्तर के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वे भी इस कानून से बाहर हैं ताकि उनकी मूल संस्कृति सुरक्षित रहे। पूर्वोत्तर के जो इलाके इस कानून के दायरे में हैं वे वही हैं जहां बाहरी लोग दशकों से रह रहे हैं और वहां के माहौल में घुलमिल गए हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि इनमें से पात्र लोगों को नागरिकता देकर वहीं बसाना बेहतर होगा। ऐसे इलाकों से संबंधित राज्य सरकारें सैद्धांतिक तौर पर इससे सहमत हैं, लेकिन राजनीतिक नुकसान के चलते वे ऐसा कहने से बच रही हैं। असम की भाजपा सरकार में असम गण परिषद एक प्रमुख घटक है, लेकिन उसके कुछ नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ भाजपा नेता भी इसके खिलाफ हो सकते हैं। बेहतर होगा कि उन नेताओं से संपर्क-संवाद तेज किया जाए जो नागरिकता कानून को लेकर आशंकित हैं। कायदे से यह काम विधेयक पेश करने के पहले ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह तय था कि कुछ दल इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करेंगे। आज यही हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यह कह रहे हैं कि इस कानून से पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति को कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा।

राष्ट्रीय महत्व के मसलों को हिंसा के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता। हिंसा से तो वैमनस्य ही बढ़ेगा, जबकि जरूरत सामंजस्य बढ़ाने की है। बाहर से आए जो लाखों लोग दशकों से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें नागरिक या शरणार्थी घोषित करने का काम करना ही होगा। इस मामले में एक सीमा तक ही उदारता दिखाई जा सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं कि वह हर किसी को देश में रहने का अधिकार दे दे। विपक्ष असम की तर्ज पर शेष देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा का भी विरोध कर रहा है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि हर देश को यह जानने का अधिकार है कि उसके यहां रह रहे लोगों में कौन उसके नागरिक हैं और कौन नहीं? अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने और दूसरे देश के नागरिकों की पहचान करनी होगी। दूसरे देशों की नागरिकों की पहचान करते समय यह भी देखना होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम घुसपैठियों ने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। वे भारतीय नागरिकों की तरह भारत के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक नहीं। इस सिलसिले को रोकना ही होगा।

response@jagran.com

प्याज बिना चैन कहां रे

हास्य-व्यंग्य

शैलेश त्रिपाठी

प्याज की फिल्मी कहानी में कई खास संवाद भी हैं जैसे कि तुम्हें जितना प्याज चाहिए ले लो, पर मेरे रास्ते से हट जाओ

जबरदस्त खबर है। एक जानेमाने निर्माता बड़ी जोरदार फिल्म बनाने जा रहे हैं। नाम है 'प्याज बिना चैन कहां' जिसे निर्देशित करने के लिए बाहर से किन्हीं विलियम ओनियन को बुलाया जा रहा है। चलिए इसकी कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। कहानी नए जमाने की है, लेकिन उसमें एक स्वयंवर भी दिखाया गया है। यह स्वयंवर फिल्म की अहम कड़ी है। अपनी रूपवती राजकुमारी के विवाह के लिए प्याजगढ़ नरेश कांदाकुंवर स्वयंवर की घोषणा करते हैं। इसके मुताबिक जो नौजवान फलां तारीख तक सबसे ज्यादा प्याज लेकर हाजिर होगा तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के साथ ही वह अपना आधा राजपाट उसे सौंपकर वनगमन को निकल जाएंगे।

स्वयंवर की मुनादी सुन ढेर सारे नौजवान अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। प्याज के लच्छों की तरह ही अपनी लच्छेदार बातों से सबको साधने में सिद्धहस्त नौजवान प्रेमपाल ने सोचा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात हुई। वह प्याज लादने के लिए गाड़ी लेकर सब्जी मंडी पहुंचा। वहां जाकर मालूम पड़ा कि महंगे भाव के चलते प्याज मंडी में नहीं, बल्कि सर्राफा बाजार से भी कड़ी सुरक्षा में बेचा जा रहा है। वह वहां से निकलने को ही था कि मंडी में घूम रहे तमाम सांडों में से एक ने उसे जोर से पटक दिया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाने में ही मशगूल रहे। फिर उन्हीं लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया कि देखिए आज का समाज कितना संवेदनहीन हो गया है।

अब स्वयंवर के दूसरे महारथी से मुलाकात की जाए। यह महाशय हैं छोटेलाल जो जुगाड़ लगाने में उतने ही बड़े उस्ताद माने जाते हैं। इसी सिलसिले में बैंक से लोन के लिए संपर्क साधा। बैंकों ने उससे आधार, पैन, पिछले बीस साल का आयकर रिटर्न और तमाम तरह की लिखित गारंटी लेने के बावजूद लोन इस बिना पर रद कर दिया गया कि वह बीते महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुका पाया था। छोटेलाल भी इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाए और अस्पताल पहुंच गए। खबर यह फैल गई कि प्याज सेहत के लिए हानिकारक है।

अब तीसरे महानुभाव मंगूराम की भी चर्चा हो जाए। उसने अपनी जमीन-जायदाद बेच और परिचितों को फंसाकर उनकी किडनी का सौदा करके मिली रकम बटोरने के बाद खरीदे गए प्याज को लेकर राजमहल की ओर कूच किया। वह राजमहल से लगी पुलिस चौकी तक पहुंचा ही था कि दो नकाबपोशों ने उसकी कनपटी पर तमंचा सटाकर सारा प्याज छीन लिया। पुलिस वालों ने उसे ही उल्टे प्याज चोर समझकर निपटा दिया। यहीं फिल्म की कहानी निर्णायक करवट लेती है।

पुनर्जन्म के बाद तीनों एक नेता के घर में जन्म लेते हैं जहां उन्हें 'अमर अकबर एंथोनी' नाम दिया जाता है। उनके पिता तीनों को कुंभ के मेले में ले जाते हैं। वहां एक गोदने वाले के यहां एक के हाथ पर प्याज, दूसरे के लहसुन और तीसरे के हाथ पर टमाटर गोदवा दिया। वे उस तंबू से निकले ही थे कि बाहर एक हाथी के उत्पात से मची भगदड़ में बिछड़ जाते हैं। एक भाई मंडी के एक बड़े जमाखोर के हाथ लगता है। वह बड़ा होकर बहुत बड़ा जमाखोर बनता है। दूसरा भाई जमाखोरी पर नियंत्रण रखने वाले विभाग का बेहद ईमानदार इंस्पेक्टर बनता है। तीसरा भाई फलों और सब्जियों के मूल्य पर निगरानी रखने वाले मंत्री के मातहत काम करता है। तीनों भाई वक्त-बेवक्त आपस में टकराते रहते हैं। क्या इन तीनों का मिलन हो पाएगा। इनमें कौन किस पर भारी पडता है। पूरी फिल्म का तानाबाना इसी पर बुना गया है। इसमें कई दमदार संवाद भी हैं। मसलन एक दृश्य में हीरोइन का बाप हीरो को बुलाकर कहता है कि तुम्हें जितना प्याज चाहिए ले लो, पर मेरी बेटी के रास्ते से हट जाओ। एक सीन में बताया जाता है कि कैसे नए प्याज में चिप लगाई जाएगी, जो खुद जमाखोर की पोल खोल देगी। फिल्म के गाने भी खूब धमाल मचा रहे हैं। 'प्याज बिना चैन कहां रे' जैसे टाइटल ट्रैक के अलावा 'प्याज मांगा है तुम्हीं से, न यूं इन्कार करो' और 'इक प्याज का नगमा है...' जैसे गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने वाले हैं। फिल्म के निर्माता का दावा है कि उनकी फिल्म दर्शकों को प्याज के रूप, रंग और रस से सराबोर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

response@jagran.com

ऊर्जा

विचारों का प्रभाव

आदर्श विचार मनुष्य के जीवन की खराब दशा को सही दिशा देने का कार्य करते है। मनुष्य अपने जीवन में विचारों के बंधन से मुक्त नहीं रह सकता। वह किसी न किसी विचार के प्रति आकर्षित तो होता ही है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आकर्षण सुविचारों के प्रति है या कुविचारों के प्रति। सुविचारों को व्यवहार में स्थान देने से न सिर्फ व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि मनुष्य उन विचारों के आधार पर उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कुविचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले लोग पतन मार्ग के पथिक बनकर रह जाते हैं। इसलिए जीवन में विचारों की भूमिका को तय करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर सूक्तियां बहुत आकर्षित करती हैं। हालांकि ये कथन सिर्फ उन्हीं का आकर्षण बन पाते है जो उनके अर्थ तक पहुंच पाते हैं। यह केवल अमृत वचन मात्र नहीं होते, बल्कि जीवन का सार होते है। उन कथनों को अनुभव की भांति आत्मसात करने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यदि वह दृष्टि हममें उपस्थित नहीं है तो हम उस विचार के मूल तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे।

यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है। वह अपनी क्षमता के आधार पर ही विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण कर्म से होता है, किंतु कर्म में विचारों की बड़ी भूमिका रहती है। यदि सफलता गलत मार्ग पर चलने से प्राप्त हो रही हो तब मनुष्य क्या उस मार्ग का अनुसरण करेगा? इस प्रश्न का उत्तर उसकी वैचारिक स्थिति पर निर्भर करता है। आधुनिक जीवनशैली में प्रवेश के चलते अध्यात्म और आदर्श का स्थान व्यावहारिकता ने ले लिया है। ज्यादा व्यावहारिक बनने की लालसा ने सही और गलत के बीच सोचने की क्षमता को समाप्त करने में कोई कसर शेष नहीं रखी है। ऐसे विचारों के अनुयायियों के लिए कर्म में सही या गलत महत्वपूर्ण नहीं होता, वे सिर्फ परिणाम के अभिलाषी होते हैं। परिणाम की लालसा के चलते वे सही अथवा गलत में भेद ही नहीं कर पाते।

सौरभ जैन

तथ्य-कथ्य | **अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों का निष्कासन**

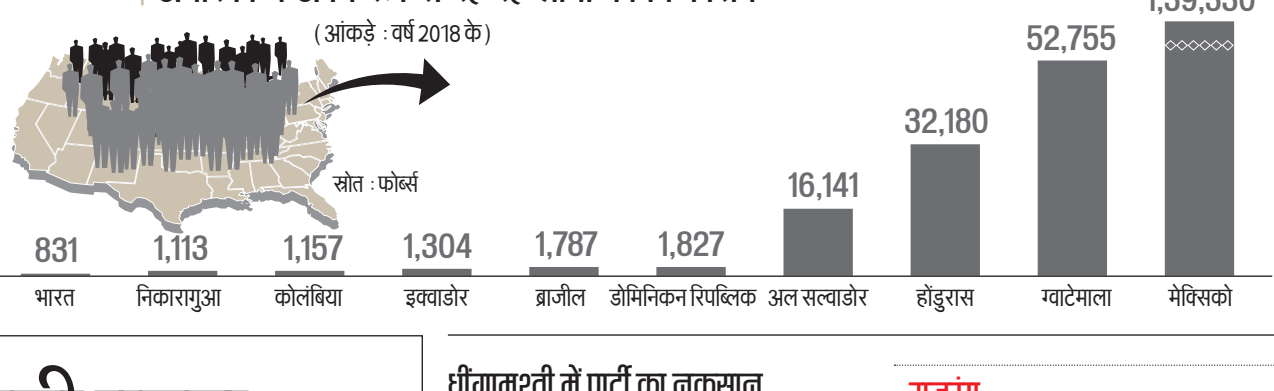

पर्यावरण हित में बड़ी पहल

मुकुल व्यास

कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन और निर्माण सामग्री में बदलने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम किया जा सकता है

कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन या निर्माण सामग्री में बदलने का काम एक नया वैश्विक उद्योग बन सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड तथा पांच अन्य संस्थानों के एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है। यदि ऐसा हुआ तो इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण को फायदा होगा। 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित यह शोध कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग के बारे में अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन है। कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग 10 विभिन्न तरीकों से हो सकता है। इनमें ईंधन, रसायन, प्लास्टिक, भवन निर्माण सामग्री, मृदा प्रबंधन तथा वानिकी शामिल हैं।

शोधकर्ताओं ने कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग की लागत का अध्ययन किया है। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि खनिज तेलों के जलने से निकलने वाली गैसों या वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को कैसे पकड़ा जाए और इसके लिए कौन सी औद्योगिक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाए। इस विषय पर पिछले अध्ययनों से आगे जाकर शोधकर्ताओं ने उन प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पकड़ी जाने वाली कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इसमें पता लगा कि गैस के उपयोग के हर तरीके से प्रति वर्ष करीब 0.5 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड का इस्तेमाल हो सकता है। एक गीगाटन एक अरब टन के बराबर होता है। सभी क्षेत्रों में संपूर्ण क्षमता का उपयोग होने पर 10 गीगाटन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग हो सकता है। प्रति टन कार्बन डाईऑक्साइड पर करीब 100 डॉलर की लागत आएगी।

कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग की लागत हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एमिली कार्टर ने कहा कि हमारे विश्लेषण से साफ है कि कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी सरकारें इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाएं, नीतियों में बदलाव करें, आवश्यक धन मुहैया कराएं और विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें तत्काल कार्य करने की दरकार है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के अनुसार 21वीं सदी के शेष वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वायुमंडल से करीब 100 से 1,000 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड हटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समय जीवाश्म कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष करीब एक प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जो 2018 में 37 गीगाटन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने और जलवायु को स्थिर करने के लिए ग्रीनहाउस गैस को हटाना बेहद आवश्यक है। उनका कहना है कि हमने अभी तक अपने उत्सर्जनों को कम करने में तत्परता नहीं दिखाई है, अतः हमें जल्द ही वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को खींचना शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी कवायद की सफलता उद्योगों के रुख पर निर्भर करेगी।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

धींगामुश्ती में पार्टी का नुकसान

आजादी के बाद लंबे अरसे तक देश की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी में सत्ता से बाहर होने और देश में सिमटते जनाधार के बावजूद नेताओं की आपसी खींचतान कम नहीं हो रही है। जनता के बीच पार्टी के प्रति भरोसा कायम करने के लिए मिलजुलकर काम करने के बजाय नेता आज भी सिर्फ अपनी छवि को ही लेकर ज्यादा चिंतित दिखते हैं। राजस्थान में यह खींचतान बहुत ही स्पष्ट दिखती है जहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। प्रदेश में भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतित दोनों ही नेताओं की कोशिश एक दूसरे से बड़ी लकीर खींचने की रहती है। हालांकि इसमें भी शह-मात का खेल जारी रहता है। कभी बाजी मुखिया के हाथ में तो कभी उनके नायब के हाथ लगती है, मगर इससे पार्टी का बंटाधार जरूर हो रहा है।

अपनों की नाराजगी

रेलवे में यूनियन नेताओं के पर कतरने के प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं। कई नेताओं के पर कतरे भी जा चुके हैं, परंतु हाल में हुई 'परिवर्तन संगोष्ठी' में जिस तरह रेलवे के 50 हजार यूनियन नेताओं की सुविधाएं कम करने अथवा वीआरएस देने का मुद्दा उठा, उससे रेलवे की तमाम यूनियनों के पदाधिकारियों को सांप सूंघा हुआ है। इन यूनियनों के नेता सार्वजनिक मंचों पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, बड़ी-बड़ी प्रेस रिलीज जारी कर चक्का जाम की धमकी देते हैं, लेकिन दो-चार जगहों पर धरना-प्रदर्शन से आगे इनका विरोध नहीं बढ़ता। ऐसे में यूनियनों के प्रति रेलकर्मियों का मोह भंग होता जा रहा है और वे खुलकर अपना असंतोष जताने लगे हैं। इसे सोशल मीडिया पर बखूबी देखा जा सकता है जहां रेलकर्मी अक्सर यूनियन नेताओं का मजाक उड़ाते देखे जा सकते हैं। इनकी टिप्पणियों का लब्बोलुआब ये है कि एक वह दौर था जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता रेलवे यूनियन के मुखिया थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया था, परंतु इस समय दोनों प्रमुख यूनियनों की कमान ऐसे पदाधिकारियों के हाथों में हैं जो हवाई बातों के अलावा कुछ नहीं करते। सरकार एक-एक करके कथित रूप से कर्मचारी विरोधी फैसले लेती जा रही है, परंतु ये पदाधिकारी चुप बैठे हैं। इन उम्रदराज और सुविधाभागी नेताओं में जोखिम लेने का साहस नहीं बचा है। लिहाजा यूनियनों की कमान अब युवा पदाधिकारियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। सरकार और कर्मचारी दोनों के ऐसे तेवरों को भांपने के बाद यूनियन नेताओं की तंद्रा भंग हुई है और अब वे सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात करने लगे हैं। अब देखना यही होगा कि इसमें वे कितनी धार दिखा पाते हैं।

हिमाचली कनेक्शन

नेताओं में वैचारिक मतभेद चाहे जितने अधिक हों, लेकिन अक्सर वे अपने आपसी रिश्तों की कड़ियां जोड़ने से नहीं चूकते। हाल में संसद सत्र के दौरान इसकी मिसाल देखने को मिली। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष-प्रतिपक्ष में बेहद गहमागहमी का माहौल बना हुआ था तब भी कांग्रेस के आनंद शर्मा और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचली कनेक्ट को सार्वजनिक करना नहीं भूले। चर्चा में आनंद शर्मा पहले बोले और उनके ठीक बाद नड्डा ने अपना भाषण दिया। नड्डा ने जब अपना भाषण खत्म कर लिया तो शर्मा ने खड़े होकर कहा कि यह संयोग ही है कि मेरे बाद नड्डा बोले और हम दोनों ही हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस पर नड्डा भी अपनत्व दिखाने से नहीं चूके और बोले 'हम लोग एक यूनिवर्सिटी से भी हैं।'

अपनी फिक्र में लगे नेताजी

प्रधानमंत्री मोदी भले ही देश से वीआइपी कल्चर को खत्म करने में जुटे हों, लेकिन नेताओं की आदत में यह इतना रच बस गया है कि इससे वे इसके मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बीते दिनों संसद में दो ऐसे वाकये देखने को मिले। पहला मामला अपने लिए अलग से लेन की मांग से जुड़ा था जिस पर खूब चर्चा भी खूब हुई, लेकिन दूसरा मामला जो चर्चा में नहीं आया, वह अलग से कोर्ट के गठन को लेकर था। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नेताजी ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। उनका कहना था कि उन जैसे जनप्रतिनिधियों के मामलों का कोर्ट से जल्द निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर अलग कोर्ट गठित किया जाए। नेताजी जब यह मांग कर रहे थे तब उन्हें जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। या फिर वह जनता से एकदम कट चुके हैं। अन्यथा वह सभी के लिए कोर्ट बनाने की मांग करते। हालांकि उन्होंने जैसे ही मांग रखी, सदन में मौजूद साथियों के बीच उन्हें लेकर ही अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।